



JALAUN POLICE

दिनांक – 22.10.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा अर्दली रूम का आयोजन; 2025 व उससे पूर्व की लंबित विवेचनाएं 15 दिवस में निस्तारित करने के निर्देश

जनपद में अपराध नियंत्रण व पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत द्वारा पुलिस लाइन उर्ई स्थित सभागार में विवेचकों का 'अर्दली रूम' (लंबित प्रकरणों की समीक्षा) आयोजित किया गया। बैठक में लंबित मामलों और जघन्य अपराधों की विवेचनात्मक कार्यवाही का गहन मूल्यांकन किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जघन्य अपराधों में वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों को समयबद्ध संकलित कर न्यायालय में मजबूत चार्जशीट प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। साइबर अपराधों की विवेचना तत्परता से निस्तारित किए जाने तथा विशेष अभियान चलाकर सभी वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी किए जाने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से वर्ष 2025 तथा उसके पूर्व की समस्त लंबित विवेचनाओं को 15 दिवस के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने की कड़ी हिदायत दी गई। कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। समीक्षा के दौरान संबंधित पुलिस अधिकारी एवं विवेचकगण उपस्थित रहे।